

पत्र संख्या-गव्य (आ0-07) 04/2026-(6)-
(डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

विनय कुमार चौधरी
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना।
जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
नवादा/मधुबनी/मधेपुरा।

पटना-14, दिनांक-

विषय:-

मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण,
मांग संख्या-02, विपत्रकोड-02-2404000030101, अन्तर्गत 20.03-प्रशिक्षण व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में ₹ 32,36,000/- (बत्तीस लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6 एस0एस0(6)11/2013-2457, दिनांक-22.05.2026 द्वारा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कुल ₹ 1,49,96,000/- (एक करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर सामान्य वर्ग के कृषकों/पशुपालकों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उक्त राज्यादेश के अनुपालन के क्रम में व्यय विवरणी (2) के आलोक में बिषयांकित बजट शीर्ष में योजना के क्रियान्वयन हेतु बंधेज राशि अन्तर्गत संलग्न विवरणी अनुसार ₹ 32,36,000/- (बत्तीस लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित किया जाता है।

2) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण -उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड-02-2404000030101, अन्तर्गत 20.03-प्रशिक्षण व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में मूल बजट उपबंधित राशि से होगा।

4) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5) विभागीय राज्यादेश सं0 5058 दिनांक 11.12.2025 के आलोक में स्वीकृत प्रशिक्षण योजनान्तर्गत राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली अन्तर्गत नहीं किये जाने के फलस्वरूप सम्पन्न प्रशिक्षण के बकाया प्रशिक्षण शुल्क(प्रशिक्षण संस्थान हेतु) एवं भाड़ा मद की राशि का भुगतान करने हेतु राशि का आवंटन किया गया है।

6) प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04/2026- / पटना -14, दिनांक:-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026- / पटना -14, दिनांक:-

प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026- / पटना -14, दिनांक:-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला कोषागार, नवादा/मधुबनी/मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04 / 2026-08(आ0) पटना -14, दिनांक:- 25/06/2026

प्रतिलिपि-प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. K. Choudhary
25.6.26
निदेशक (गव्य)

-विवरणी:-

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में विभागीय राज्यादेश सं० 2457 दिनांक 22.05.2026 के आलोक में स्वीकृत योजनात के आलोक में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण- उपशीर्ष-0101- प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत 32,36,000/- (रु० बत्तीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की राशि का आवंटन:-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रशिक्षण शुल्क(प्रशिक्षण संस्थान हेतु) एवं पशुपालकों/कृषकों/प्रशिक्षणार्थियों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु माझा मद के लिए आवंटित राशि		कुल आवंटन (रूपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।	0	3146000	0	3146000
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा।	0	22500	0	22500
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी।	0	22500	0	22500
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा।	0	45000	0	45000
योग:-		0	3236000	0	3236000

(बत्तीस लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र

B. K. Shrivastava
निदेशक (गव्य)